उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

खुली बोली/ऑफर के माध्यम से केंद्र के आम, आडू एवं प्लम बागों के बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र पत्थरचट्टा के लाट सं0–1 (आम बाग) एवं लाट सं0–9 (आडू एवं प्लम बाग) फसल वर्ष–2018 की बिक्री हेतु दिनांक 28.03.2018 को अपराह्न 2:00 बजे खुली बोली/ऑफर के माध्यम से नीलामी की जायेगी।

बागों का विवरणः–

विभाग का नाम	लाट सं0.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा	लाट सं0–1	आमः 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	27 एकड़
	लाट सं0–9	आडू एवं प्लम (अलूचा) क्षेत्र सं0– 7बी, 12ए	09 एकड़

निविदा की शर्तेः

1. बागों के ठेके की अवधि 31.08.2018 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली–भाँति निरीक्षण कर ले। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. ठेका लेने के इच्छुक ठेकेदार दिनांक 28.03.2018 को प्रातः 9: बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक केंद्र के कार्यालय में रू0 25,000.00 नगद/बैंक ड्राफ्ट (वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम) जमा करके बोली मे भाग ले सकते है।
4. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में बोली समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा। इस राशि में पहले जमा किया गया रू0 25,000.00 के नकद/बैंक ड्राफ्ट को समायोजित नहीं किया जायेगा यदि सफल बोलीदाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया रू0 25,000.00 के नकद/बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा।
5. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त बोली को अस्वीकृत कर दें।
6. कुलपति महोदय द्वारा बोली की स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व जो भी पहले हो, उच्चतम बोली राशि का 40 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी। इसमे पहले जमा किया रू0 25,000.00 का नकद/बैंक ड्राफ्ट समायोजित कर लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पत्र प्रेषण की दिनांक से 15 दिन मे कब्जा नही लिया जाता है तो वह एक सप्ताह तक 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ बाग का कब्जा ले सकता है। इसके बाद ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा और जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने के समय ठेके की उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में *वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर* के नाम जमा करना होगा। जो केवल *भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पी0एन0बी0 बैंक एवं यूनियन बैंक, पन्तनगर* में देय हो तभी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा इस बैंक ड्राफ्ट को ठेके की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा। यदि निश्चित दिनॉक तक प्रतिभूति राशि ठेकेदार द्वारा जमा नही किया जाता है तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।
7. समस्त धनराशियाँ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगीं।
8. जिस ठेकेदार की बोली/ऑफर स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझाने के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. फलों को केंद्र से बाहर ले जाने के लिए ठेकेदार को केंद्र से गेट पास प्राप्त करना होगा।

24/3/18

संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र
पत्थरचट्टा

11. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा।

12. शोध कार्य हेतु ठेकेदार को फलो की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

लाट सं0.	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य हेतु दिये जाने वाले फल की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
लाट सं0-1	आम	सं0 – 1, 2ए, 2बी, 2सी एवं 3बी (6 पेड़ लीची सहित 2सी में)	1100 कि0ग्रा0	100 फल
लाट सं0-9	आडू एवं प्लम (अलूचा)	सं0– 7बी, 12ए	आडू 150 कि0ग्रा0 व प्लम 100 कि0ग्रा0	50 फल 50 फल

13. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 100.00 के नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनॉक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

14. अनुसंधान वाले पेड़ो/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी या अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत् करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए परियोजनाधिकारी अथवा फल परियोजना समन्यवक की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।

15. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केंद्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केंद्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।

16. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अन्तर्गत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा स्वंय सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी।

17. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़ो से बचाव तथा फलों की तुडाई, ढलाई आदि कार्य स्वयं करने होगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक, कीट नाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केन्द्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

18. ठेकेदार द्वारा फल तुड़ाई आदि कार्यो को सम्पन्न कराने हेतु लगाये गये श्रमिकों की मजदूरी भुगतान का प्रमाण पत्र भी केंद्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

19. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्व आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

24/3/18

(ए0के0सिंह)
संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र,
पत्थररचट्टा

प्रतिलिपि :-

1. बिक्री सहायक, उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा।
2. लेखाकार, उद्यान अनुसंधान केंद्र